भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 276

बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढावा देना</u>

*276. श्री सनातन पांडेयः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 276 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरणः

i. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तरीय की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।

ii. देश में एक करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सौर की स्थापना हेतु पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।

iii. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (भाग-I और II) में गीगावाट स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।

iv. छोटे ग्रिड संबद्ध सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंततः में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।

v. जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) बसाहटों/गांवों के लिए)।

vi. राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रमः

- अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रमः शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम।
- बायोमास कार्यक्रमः ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-बगास) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
- बायोगैस कार्यक्रमः पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।

vii. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी): अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन्ट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार करना। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए ट्रांसमिशन अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों में भूमि के प्रतिस्पर्धी उपयोग तथा कानूनी जटिलताओं के कारण बड़े स्तर के सौर तथा जैवऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण; नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से बढ़े भार को नियंत्रित करने के लिए पारेषण अवसंरचना की आवश्यकता; उच्च प्रारंभिक पूंजीगत लागत तथा वित्तीय जोखिम; जटिल विनियामक प्रक्रियाएं तथा विभिन्न स्वीकृतियों की आवश्यकता आदि हैं।

सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न उपाय तथा पहल की हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकार ने विभिन्न विनियम जारी किए हैं जिससे परियोजना कार्यान्वयन में आसानी हुई है (10 किलोवाट से कम के सौर रूफटॉप के लिए टीएफआर छूट)। साथ ही, सरकार ने विनियामक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए परियोजना पंजीकरण तथा निगरानी हेतु सिंगल-विंडो स्वीकृति प्रणाली और समर्पित पोर्टल की शुरुआत की है। रिटेल आउटलेटों (खुदरा दुकानों) और निर्माताओं के लिए वर्ष 2023 में बायोडीजल विनियम अधिसूचित किए गए।
- उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण चुनौतियों को कम करने के लिए सार्वजनिक और निजी डेवलपरों को सब्सिडीयुक्त दरों पर पट्टे पर भूमि देती है, जिससे विद्युत निकासी में होने वाले अवरोध में कमी आई है।
- बैटरी भण्डारण परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी और विद्युत शुल्क और पारेषण शुल्कों में छूट जैसी विभिन्न सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।
- पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 किलो वाट तक 15,000 रु. की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए दिनांक 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- निवेशों को आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए परियोजना विकास एकक की स्थापना की गई है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।

- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किया गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनजी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****